केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद
कार्यालय के अनुपयोगी वाहन क्र. GJ18G5179 की नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते

1. वाहन का निपटान “जहां है जैसा है” के आधार पर होगा एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के कार्यालय द्वारा इसकी योग्यता या गुणवत्ता की कोई गारंटी या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा l वाहन की स्थिति का निरीक्षण भौतिक रूप से बोली लगाने से पूर्व किया जा सकता है l

2. प्रत्येक बोली दाता को बयाना राशि अर्थात रू. 5000/- (रुपये पाँच हज़ार मात्र) बयाना राशि “KVS AR FUND ACCOUNT” अहमदाबाद के पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है l बयाना राशी चेक अथवा नकद भुगतान के रूप में किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं की जायेगी l

3. यदि इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोली दाता/सफल बोली दाता निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है अर्थात सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले के रूप में घोषित बोली दाता को सूचना की तिथि से 02 कार्य दिवसों के भीतर बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है l तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी l यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है, तो भी उसके द्वारा जमा की गयी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी l

4. असफल बोलीदाताओ की बयाना राशि बिक्री से प्राप्त राशि की वसूली के बाद ही जारी की जायेगी l निर्धारित समय सीमा में बोली का सम्मान करने में विफल रहने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी l इस सम्बन्ध में किसी भी अभ्यावेदन पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा l एच-1 बोलीदाता की बयाना राशि इस कार्यालय द्वार स्वीकृत बिक्री राशि में समायोजित की जायेगी l असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिक्री प्रक्रिया के सफल समापन के बाद ही लौटाई जायेगी l

5. बेचे गए वाहन की सुपुर्दगी की व्यवस्था तभी की जायेगी जब सफल बोलीदाता आवासीय स्थिति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा (व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड और फर्मों के मामले में पंजीकरण आदि l

6. सफल बोलीदाता द्वारा वाहन को कार्यालय कार्य दिवस में ही ले जाने की अनुमति होगी l

7. सफल बोलीदाता वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने नाम पर अपने खर्चे पर शीघ्रता से प्राप्त कराने के लिए भी जिम्मेदार होगा l कानून के अनुसार और सरकार के परिवहन प्राधिकरण के लिए लागू मोटो वाहन अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कागजी कार्यों को करने के लिए खरीदार की ही एकमात्र जिम्मेदारी होगी l इस सम्बन्ध में क्रेता की ओर से किसी प्रकार की चूक के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा l

8. बोली लगाने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी l इस सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा बोली लगाने वाले को अपना पूरा नाम/फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/पिता का नाम, पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर बताना होगा l

9. वर्तमान में वाहन पर किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा प्रभार नहीं है, सफल बोलीदाता को वाहन सुपुर्द करने के बाद किसी प्रकार के विवाद के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा l

10. यदि उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म बोली का सम्मान करने में विफल रहती है, तो उसकी बोली रद्द कर ड जायेगी और उसकी ईएमडी जब्त कर ली जायेगी l ऐसी स्थिति में, अगले उच्चतम बोली लगाने वाले पात्र बोलीदाता (H-2 को उदधृत करने वाली पार्टी) को बोली को पूरा करने का अवसर दिया जाएगा, बशर्ते वह H-1 पार्टी द्वारा दी गयी कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो l किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा l

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद ज्ञानदीप, सेक्टर 30, गांधीनगर (गुजरात) – 382030

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.12.2024 को प्रातः 11.00 बजे इस कार्यालय की टोयोटा क्वालिस डीजल मॉडल-2002 चालू हालत में, खुली बोली द्वारा विक्रय की जानी है, इच्छुक बोली दाता उच्चतम मूल्य की बोली लगाकर वाहन खरीद सकता है l बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बयाना राशि के रूप में रुपये 5000/- (रुपये पाँच हज़ार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट "KVS AR FUND ACCOUNT" के नामे कार्यालय में जमा करना होगा l वाहन का अवलोकन इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य बोली दिनांक से पूर्व किया जा सकता है l सफल बोली दाता को पूर्ण राशि धरोहर राशि के समायोजन के बाद शेष राशि दो दिन के भीतर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा करनी होगी l अधिक जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट https://roahmedabad.kvs.gov.in/ का अवलोकन करे l

उपायुक्त